न्यायालय, कनीय न्यायाधीश, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर
विभाजन वाद–29 / 2022

रामबाबू राय वगैरह .....वादीगण

बनाम

उदन राय वगैरह.....प्रतिवादीगण

आदेश

20.04.2024 अभिलेख आज प्रतिवादीगण की ओर से दीवानी प्रकिया संहिता की धारा–11 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक–14.09.2023 तथा उसके तत्संबंधित वादी द्वारा प्रत्युत्तर दिनांक–23.11.2023 पर आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया है।

अपने आवेदन में प्रतिवादी आवेदक ने यह निवेदन किया है कि प्रस्तुत वाद के विवादी भूभाग से संबंधित पूर्व में भी वादी प्रस्तुत वाद में मांगे गये अनुतोष के हु–व–हु अनुतोष के लिए श्रीमान सिविल जज वरीय कोटि के न्यायालय में विभाजन वाद सं0–20 / 2019 दाखिल किया गया था जो उक्त न्यायालय द्वारा सुनवाई पश्चात खारिज हो गया था, उक्त फैसले के विरूद्ध वादी आज तक कोई अपील या रिविजन किसी वरीय न्यायालय में दाखिल नहीं किये बल्कि इस न्यायालय को धोखा देकर प्रस्तुत मुकदमा दाखिल किया गया है। पूर्व के विभाजन वाद सं0 20 / 2019 के पक्षकार भी प्रस्तुत मुकदमा के ही पक्षकार है, ऐसी परिस्थिति में भी प्रस्तुत वाद धारा 11 सी.पी.सी. से बाधित है। वादी को वर्तमान वाद दाखिल करने का कोई हक व कारण नहीं है और एक ही विषय वस्तु के लिए दो बार वाद दाखिल नहीं हो सकता है। इसलिए प्रस्तुत वाद प्राड्ग न्याय के सिद्धान्त से बाधित होने के कारण खारिज होने योग्य है। अतः निवेदन है कि प्रस्तुत वाद खर्चा सहित खारिज करने की कृपा की जाय।

उपरोक्त आवेदन के प्रत्युत्तर में वादी ने यह निवेदन किया है कि उपरोक्त आवेदन विधि व तथ्य की दृष्टि से पोषणीय नहीं है, अपितु खारिज होने योग्य है। यह आवेदन काल बाधित है एवं परिसीमा विधि से ग्रसित है इस कारण भी खारिज होने योग्य है। प्रतिवादी ने अपने आवेदन में सही तथ्य का छुपाया है। वास्तविकता यह है कि प्रस्तुत वाद के विवादी भूमि के साथ अन्य भूमियों एवं प्रस्तुत वाद के प्रतिवादीगणों के साथ अन्य प्रतिवादीगणों के विरूद्ध वह वाद दाखिल किया गया था जो विद्वान न्यायालय, सिविल जज, सिनियर डिविजन, पटोरी द्वारा एक पक्षीय रूप से यह कहते हुए खारिज किया गया था कि वादी का दावा पूर्णरूपेण भ्रमकारी तथ्यों पर आधारित है एवं वाद सभी प्रतिवादीगणों के विरूद्ध एकपक्षीय बिना खर्च खारिज करने का आदेश पारित हुआ। पूर्व वाद के वादी के कानूनी सलाहकारन ने वेमेल प्रतिवादीगण के वादपत्र को नितांत भ्रमकारी बना दिया एवं प्रस्तुत वाद के विषय–वस्तु वाली भूमि के दीगर, अन्य भी कई भूमियों को विवादग्रस्त दर्शाकर पूर्व वाद प्रस्तुत किया गया था, जिसकी पूर्ण जानकारी वादी को पूर्व वाद के निष्पादन के पश्चात हुआ एवं ऐसी परिस्थिति में पूर्व वाद में कोई संशोधन अथवा अपील करना संभव नहीं था एवं वादी न्याय से वंचित रह गया, फलस्वरूप वादी ने इस न्यायालय में प्रस्तुत विभाजन वाद प्रर्याप्त हेतुक दर्शाते हुए दायर कर न्याय की याचना की है।

यह कि धारा 11 सी.पी.सी. में स्पष्ट रूप से व्याख्यातीत है कि पूर्ववर्ती वाद में एक पक्षकार द्वारा द्वारा अभिकथन और दूसर पक्षकार द्वारा अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से प्रत्याख्यान या स्वीकृति आवश्यक है। परन्तु पूर्व वाद एक पक्षीय खारिज हो गया है, इस कारण भी प्रतिवादीगणों द्वारा दाखिल आवेदन खारिज होने योग्य है। प्रस्तुत वाद में प्रतिवादीगण उपस्थित होकर अपना लिखित कथन भी दाखिल कर चुके है और अधिवक्ता आयुक्त का प्रतिवेदन भी न्यायालय के समक्ष समर्पित किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत वाद को बिना कारण लंबित रखने के उद्देश्य से साजिशपूर्ण प्रतिवादीगणों ने यह आवेदन दाखिल किया है जो प्रथम दृष्टया खारिज होने योग्य है। अतः निवेदन है कि उपरोक्त आवेदन खारिज किए जाने की कृपा की जाय।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद वादी द्वारा वादपत्र के मद सं0–2 में उल्लिखित भूमि के निस्बत पूर्वजों के बंटवारानुसार दो पट्टी अलग–अलग कायम कर दक्षिण पट्टी पर वादी का हिस्सा व दखल कब्जा घोषित किया जाय एवं वादी के पट्टी पर प्रतिवादीगणों को हस्तक्षेप किये जाने से निषेधित किये जाने हेतु दाखिल किया गया है। यहॉ यह उल्लेखनीय है कि विभाजन वाद सं0 20/2019 में पारित निर्णय डिक्री उभय पक्षों के मध्य स्वीकृत है एवं प्रस्तुत वाद प्रतिवादीगणों द्वारा दाखिल प्रतिवाद पत्र में प्रस्तुत वाद प्राड्ग न्याय के सिद्धान्त से बाधित होने के पोषणीय नहीं होना मुख्य कारण बताया है। अतः प्रथम दृष्टया यह निर्धारित होना आवश्यक है कि वर्तमान वाद प्राण्ग न्याय के सिद्धांत द्वारा बाधित है अथवा नहीं। अतः बतौर प्रारम्भिक विवाद्यक इसका अभिनिर्धारण किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तद्नुसार प्रस्तुत वाद में प्रारम्भिक विवाद्यक गठित करते हुए वाद सुनवाई हेतु नियत किया जाता है तथा उपरोक्त आवेदन निष्पादित किया जाता है। प्रारम्भिक विवाद्यक निम्न हैः–

' क्या यह वाद प्राण्ग न्याय के सिद्धांत द्वारा बाधित है?'

प्रतिवादी आवेदकगणों को निर्देशित किया जाता है कि वे आज की तिथि से अगली चार तिथियों के भीतत प्रारम्भिक विवाद्यक पर अपना साक्ष्य प्रस्तुत करें।

वाद दिनांक–**08.05.2024** वास्ते प्रारम्भिक विवाद्यक पर प्रतिवादी साक्ष्य हेतु प्रस्तुत करें।

कनीय न्यायाधीश,
शाहपुर पटोरी